

**पंचकर्म केन्द्र योजना अन्तर्गत अभ्यंगकर्म (मसाजर) लगाये जाने हेतु बजट आवंटन**

संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक:प.18(6)आयु. /2016 पार्ट II दिनांक 21.08.17 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पंचकर्म योजना अन्तर्गत पंचकर्म केन्द्रों के लिए जॉब बेसिस पर अभ्यंगकर्म (मसाजर) लगाये जाने की 7 माह के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः स्वीकृति अनुसार बजट मद 2210-02-101-(02)-[01] -उपमद 05 कार्यालय व्यय में निम्नानुसार 7 माह हेतु राशि का आवंटन किया जाता है:-

कार्यालय कोड नम्बर	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राजकीय आयुर्वेद जिला चिकित्सालय/ राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय का नाम जहाँ पंचकर्म केन्द्र पर अभ्यंगकर्म लगाया जाना है।	आवंटित राशि (6000/-प्रतिमाह अनुसार)
6023	जि.आ.अ. कोटा	राज. जिला आयु. चिकित्सालय तलवण्डी कोटा	42000/-
4258	जि.आ.अ. अजमेर	राज. जिला आयु. चिकित्सालय लौगिया अजमेर	42000/-
15210	जि.आ.अ. जयपुर 'अ' क्षेत्र	राज. जि आयु. चिकि. लक्ष्मीनारायणपुरी जयपुर अ	42000/-
6326	जि.आ.अ. झालावाड	राज.. आयु. चिकित्सालय झालावाड	42000/-
16181	जि.आ.अ. बीकानेर	राज. जिला आयु. चिकित्सालय बीकानेर	42000/-
19271	जि.आ.अ. जोधपुर	राज. जिला आयु. चिकित्सालय, खाण्डाफालसा,	42000/-
6095	जि.आ.अ. जालौर	राज. जिला आयु. चिकित्सालय जालौर	42000/-
19272	जि.आ.अ. करौली	राज. आयु. चिकित्सालय करौली	42000/-
17577	जि.आ.अ. टोंक	राज. आयु. चिकित्सालय आवां-टोंक	42000/-
17479	जि. आ. अ. धौलपुर।	राज.जिला आयु. चिकि. धौलपुर।	42000/-
16246	जि. आ. अ. जयपुर 'ब'क्षेत्र	राज.आयु. चिकि. प्रतापनगर-जयपुर 'ब'	42000/-
		योग-	462000/-

1. प्रावधित राशि का उपयोग तथा पंचकर्म केन्द्रों हेतु अभ्यंग कार्य को बिना पद सृजित किये, आर.टी.पी.पी.रूल्स के प्रावधानों एवं नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए आउटसोर्स से जॉब बेसिस पर किया जावे।
2. प्रस्तावित केन्द्रों का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
3. आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।
4. नियमानुसार समिति का गठन किया जावे, जिसमें लेखाकर्म व सम्बन्धित केन्द्र प्रभारी को सदस्य मनोनित किया जाकर व्यय की कार्यवाही की जावे।
5. सम्बन्धित केन्द्र पर व्यय राशि का विवरण/सूचना वर्ष के अन्त में निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावे।

वित्तीय सलाहकार,

दिनांक: 4/9/17

कमांक:प.2/लेखा-1/बजट/2017-18/ 16125

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग।
3. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी, ।
4. संबंधित प्रभारी चिकित्साधिकारी, राजकीय जिला आयु. चिकि. /राज.आयु. चिकि. ।
5. प्रभारी, सार्विकी शाखा/लेखा-4 अंक मिलान शाखा कार्यालय हाजा
6. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा को देकर लेख है कि उक्त सूचना को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

वित्तीय सलाहकार,